# The Jharkhand Reservation in Vacancies of Posts and Services (Scheduled Caste/Scheduled Tribe and Backward Classes) Act, 2001

Act No. - of 2001

Amendment appended: 8 of 2011

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

# झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001

राज्य के अधीन पदों एवं सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के यथोचित प्रतिनिधित्व का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) यह अधिनियम झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 कहा जा सकेगा;

(2) यह सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में लागू होगा;

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं :—जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में:—

(क) (i) "नियुक्ति प्राधिकारी" जहां तक इसका संबंध किसी स्थापना में सेवा यह पद से है, से अभिप्रेत है वैसी सेवाओं या पदों पर नियुक्त करने के लिए सशक्त प्राधिकारी;

(ii) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001;

(ख) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनी नियमावली जो राजकीय गजट में प्रकाशित हुई हो, द्वारा विहित;

(ग) "स्थापना" से अभिप्रेत है राज्य के कार्यकलाप से जुड़े लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों से संबंधित राज्य का कोई कार्यालय या विभाग और इसमें सम्मिलित हैं—

(i) तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य अधिनियम के अधीन गठित कोई स्थानीय या वैधानिक प्राधिकार; या

(ii) बिहार सरकारी समिति अधिनियम, 1935 (बिहार अधिनियम 6, 1935) के अधीन निबंधित कोई सहकारी संस्थान जिसमें राज्य सरकार द्वारा शेयर पूंजी लगाई गई है और जो राज्य सरकार से ऋण, अनुदान तथा साहाय्यिकी आदि के रूप में सहायता प्राप्त करता है, और

(iii) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कॉलेज, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालय तथा ऐसे अन्य शैक्षिक संस्थान, जिन्हें राज्य सरकार ने स्वाधिकृत कर लिया या सहायता प्रदान करती है;

(iv) सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान;

(घ) "सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना" से अभिप्रेत है कोई उद्योग, वाणिज्य, व्यापार या पेशा जो निम्न द्वारा स्वाधिकृत, नियंत्रित या प्रबंधित हो:—

(i) राज्य सरकार या राज्य सरकार का कोई विभाग;

(ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम-1, 1956) की धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कम्पनी अथवा केन्द्र या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम जिसमें राज्य सरकार द्वारा समादत्त शेयर पूंजी के एकावन प्रतिशत से अन्यून शेयर पूंजी लगायी गयी हो;

(ङ) "भर्ती वर्ष" से अभिप्रेत है वह पचांग वर्ष जिसमें वस्तुतः भर्ती की जाती है;

(च) "आरक्षण" से अभिप्रेत है अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पदों एवं सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण;

(छ) "अनुसूचित जाति" का निर्देश भारत संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन किए गए तथा समय-समय पर यथा संशोधित संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों से होगा ;

(ज) "अनुसूचित जनजाति" का निर्देश भारत-संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन बनाए तथा समय-समय पर यथा संशोधित संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में विनिर्दिष्ट जनजातियों से होगा ;

(झ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है—अत्यन्त पिछड़े वर्ग ;

(ञ) "अत्यन्त पिछड़े तथा पिछड़े वर्गों" से अभिप्रेत है तथा इसमें सम्मिलित हैं वे सभी वर्ग जो इस अधिनियम की अनुसूची-1 और 2 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं ।

स्पष्टीकरण—यदि अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची-1 और अनुसूची-2 में प्रमाणित वर्गों में से किसी वर्ग को राष्ट्रपति के किसी आदेश के अन्तर्गत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया जाता है तो ऐसे वर्ग को उक्त अनुसूची से विलोपित हुआ समझा जाएगा ।

(ट) "गुणागुण-सूची" से अभिप्रेत है अधिनियम में किए गए उपबंधों के अनुसार तैयार की गई गुणागुण-क्रम से क्रमांकित उम्मीदवारों की सूची ।

(ठ) "राज्य" में सम्मिलित है झारखण्ड राज्य की सरकार, विधान-सभा और न्यायपालिका एवं राज्य के भीतर अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकार ।

3. प्रयोज्यता—यह अधिनियम निम्नलिखित में लागू नहीं होगा :—

(क) केन्द्र सरकार के अधीन कोई नियोजन ;

(ख) निजी क्षेत्र में कोई नियोजन ;

(ग) घरेलू सेवाओं में कोई नियोजन ;

(घ) सेवारत सरकारी सेवक की मृत्यु पर अनुकम्पा के आधार पर की गई नियुक्ति ; और

(ङ) ऐसे अन्य पद जिसे राज्य सरकार, आदेश द्वारा, समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे; परन्तु यह कि इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के बाद तुरन्त राज्य विधान-सभा के समक्ष, जब वह कुल चौदह दिनों के लिए सत्र में हो, रखा जाएगा जो एक ही सत्र में या दो लगातार सत्र में पड़ सकते हैं ।

4. सीधी भर्ती के लिए आरक्षण—(1) किसी स्थापना में सेवाओं और पदों की सभी नियुक्तियाँ, जो सीधी भर्ती के द्वारा भरी जाने वाली हों, निम्नलिखित रूप में विनियमित की जायेगी, यथा :—

| | | |
|---|---|---|
| (क) खुला गुणागुण कोटि से | | 27 प्रतिशत |
| (ख) आरक्षित कोटि से | ... | 73 प्रतिशत |

(2) आरक्षित कोटि का 73 प्रतिशत रिक्तियों में से आरक्षित उम्मीदवारों की विभिन्न कोटियों की रिक्तियाँ इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन निम्नलिखित रूप में होंगी :—

| | | |
|---|---|---|
| (i) अनुसूचित जाति | ... | 14 प्रतिशत |
| (ii) अनुसूचित जनजाति | ... | 32 प्रतिशत |
| (iii) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग | ... | 18 प्रतिशत |
| (vi) पिछड़ा वर्ग | ... | 9 प्रतिशत |
| | कुल | 73 प्रतिशत |

(2) (क) उप-धारा (2) के अधीन निर्धारित आरक्षण प्रतिशत में प्रत्येक कोटि के लिए निम्न प्रकार से क्षैतिज आरक्षण विनियमित होगा :--

(i) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए :—

| | | |
|---|---|---|
| (क) अन्धापन अथवा कम दृष्टि | ... | 1 प्रतिशत |
| (ख) बहरापन | .. | 1 प्रतिशत |
| (ग) लोकामोटिव विकलांग अथवा सेरिब्रल पाल्सी | | 1 प्रतिशत |
| | कुल | 3 प्रतिशत |

(ii) महिलाओं के लिए— ... 5 प्रतिशत

परन्तु, यह कि राज्य सरकार झारखण्ड राजपत्र में अधिसूचना जारी कर जिलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार विभिन्न जिलों के लिए विभिन्न प्रतिशत नियत कर सकेगी ;

परन्तु, यह और कि प्रोन्नति के मामले में केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए इस धारा के अधीन यथा उपबंधित अनुपात में आरक्षण किया जाएगा ।

(3) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार जो अपने गुणागुण के आधार पर चुने जाते हैं, की गणना खुली गुणागुण की कोटि की 27 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध की जाएगी न कि आरक्षण कोटि रिक्तियों के विरुद्ध ।

(4) इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि और नियमावली या न्यायालय के किसी निर्णय या डिक्री के होते हुए भी उपधारा (3) का उपबंध ऐसे मामलों में लागू होगा जिसमें चयन की सभी औपचारिकताएँ पूर्ण कर ली गई किन्तु नियुक्ति-पत्र निर्गत नहीं किए गए हैं ।

(5) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियां ऐसे उम्मीदवारों से नहीं भरी जायेंगी, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के न हों ।

(6) (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों में नियुक्ति तथा प्रोन्नति के लिए उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में तीन भर्त्ती वर्षों तक के लिए उन रिक्तियों को आरक्षित बनाए रखा जायगा और यदि तीसरे वर्ष में भी सुयोग्य उम्मीदवार नहीं उपलब्ध हों, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच रिक्तियों का विनिमय किया जायगा और विनिमय द्वारा तथा पूरित रिक्तियां उस विशेष समुदाय के उम्मीदवार जो वस्तुतः नियुक्त किए जाते हैं, के लिए आरक्षित समझा जाएगी ।

(ख) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के सुयोग्य उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में वैसी आरक्षित रिक्तियां तीन भर्त्ती वर्षों के लिए आरक्षित बनी रहेंगी और यदि तीसरे वर्ष में भी सुयोग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो रिक्तियां अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों से विनिमय द्वारा भरी जायेंगी और विनिमय द्वारा तथा पूरित रिक्तियाँ उस विशेष समुदाय के योग्य उम्मीदवारों, जो वस्तुतः नियुक्त किए जाते हैं, के लिए आरक्षित समझी जाएगी ।

(ग) यदि किसी भर्त्ती वर्ष में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्यन्त पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या, विनिमय फार्मुला के बाद भी, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या से कम है तो शेष पूर्वागत (बैक लॉग) रिक्तियां, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से, उन्हें अनारक्षित करके भरी जा सकेंगी, किन्तु वैसी अनारक्षित रिक्तियां तीन भर्त्ती वर्षों तक अग्रणीत रहेंगी ।

(घ) यदि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अत्यन्त पिछड़े वर्गों के उम्मीदवार, अपेक्षित संख्या में, उपलब्ध न हो, तो केवल पिछली रिक्तियों को भरने के लिए, यथास्थिति, केवल अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अत्यन्त पिछड़े एवं पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए ही नया विज्ञापन किया जा सकेगा ।

(ङ) इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल या तत्काल प्रवृत्त किसी अन्य विधि और नियमावली या न्यायालय के किसी निर्णय या डिक्री के होते हुए भी धारा-4 का प्रावधान ऐसे सभी मामलों में लागू होगा जिनमें चयन की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, किन्तु नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किए गए हैं।

5. आरक्षण नीति का पुनर्विलोकन --(1) राज्य सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह धारा-4 के अधीन विभिन्न आरक्षित कोटियों के लिए नियत अनुपात में, धारा-2 के खण्ड (ग) एवं (घ) में यथापरिभाषित राज्य की सभी स्थापनाओं की विभिन्न सेवाओं या पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यन्त पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व की प्राप्ति हेतु प्रयास करे।

(2) राज्य सरकार प्रत्येक 10 वर्ष के बाद अपनी आरक्षण नीति का पुनर्विलोकन करेगा;

परन्तु, यह कि इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के बाद तुरन्त, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह कुल 14 दिनों के लिए सत्र में हो, जो एक ही सत्र में या दो लगातार सत्र में पड़ सकते हैं, रखा जाएगा।

6. आदर्श रोस्टर—(1) राज्य सरकार राज्य और जिला स्तर दोनों की रिक्तियों के लिए सीधी भर्ती के लिए 100 बिन्दुओं और प्रोन्नति के लिए 50 बिन्दुओं का आदर्श रोस्टर विहित करेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अपने नियंत्रणाधीन प्रत्येक कोटि के पदों के लिए सीधी भर्ती और प्रोन्नति हेतु विहित फारम में पृथक चालू रोस्टर रखेगा।

7. रियायत—किसी भी सेवा या पद पर चयन के लिए परीक्षा हेतु विहित शुल्क, यदि कोई हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में घटाकर 1/4 कर दिया जाएगा।

8. सम्पर्क पदाधिकारी—सरकार के हरेक विभाग में, स्थापना के प्रभारी पदाधिकारी को, जो संयुक्त सचिव की पंक्ति के नीचे का न हो, इस अधिनियम द्वारा उपबंधित मामले के सम्बन्ध में सम्पर्क पदाधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए विभागीय सचिव द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा और वह निम्नलिखित का उत्तरदायी होगा—

(क) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;

(ख) अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करना;

(ग) विवरणियों का समय पर उपस्थापन सुनिश्चित करना;

(घ) रोस्टरों और यथाविहित ऐसे अन्य अभिलेखों का वार्षिक निरीक्षण सुनिश्चित करना;

(ङ) प्रशासनिक विभाग और कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के बीच सम्पर्क पदाधिकारी के रूप में कार्य करना;

(च) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के संगठन या किसी व्यक्ति से प्राप्त परिवादों के अन्वेषण में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग और आरक्षण आयुक्त को आवश्यक सहायता सुनिश्चित करना;

9. समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारियों का मनोनयन :—राज्य सरकार हरेक स्थापना/प्रोन्नति समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के एक पदाधिकारी का मनोनयन करेगी।

10. अभिलेख मांगने की शक्ति :—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई सदस्य, जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुपालन नहीं करने से प्रतिकूलतः प्रभावित होता है, तो वह राज्य सरकार को नोटिस में उस तथ्य को ला सकेगा और उसके द्वारा आवेदन करने पर राज्य सरकार ऐसा अभिलेख मंगा सकेगी या उस पर ऐसी कार्रवाई कर सकेगी, जिसे वह उचित समझे।

11. सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई को सुरक्षा :—कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसी बात के लिए, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं चलाई जाएगी जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावनापूर्वक की गई हो या किए जाने के लिए आशयित हो।

12. शास्ति :—यदि कोई नियुक्ति प्राधिकारी इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन कर नियुक्ति/प्रोन्नति करता है तो वह 1000 रुपए तक के जुर्माना या तीन महीने के कारावास या दोनों से दण्डनीय होगा।

13. अभियोजन :—(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी नियुक्ति या प्रोन्नति के सम्बन्ध में जब कोई शिकायत की जाए तब यथास्थिति जिला स्तर पर जिला के समाहर्त्ता/उपायुक्त या प्रमंडलीय स्तर पर आयुक्त या राज्य स्तर पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग भलीभाँति जाँच के पश्चात् सरकार के अनुमोदन से नियुक्त पदाधिकारी तथा सम्बन्धित पदाधिकारी के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा कर सकेगा।

(2) वैसे मामले जिनमें नियुक्ति पदाधिकारी समाहर्त्ता/उपायुक्त हो तो प्रमंडलीय आयुक्त या प्रमंडलीय आयुक्त हो, तो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा ऐसा मुकदमा किया जाएगा।

14. कठिनाइयों का निराकरण :—यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार ऐसी कार्रवाई कर सकेगी या ऐसे आदेश निर्गत कर सकेगी जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो, जिसे वह कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक समझे।

(14) (अ) अधिनियम की अनुसूची-1 एवं 2 में जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति :—पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची-1 अथवा अनुसूची-2 में किसी जाति, वर्ग को यथास्थिति जोड़ या हटा सकेगी।

15. नियम बनाने की शक्ति :—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी नियमावली निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले में उपबन्ध कर सकेगी, यथा –

(क) किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु-सीमा;

(ख) किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता प्रदायी अंक;

(ग) वह फारम, जिसमें प्रत्येक स्थापना, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को ऐसी स्थापना में भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या से सम्बन्धित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी;

(घ) कोई अन्य विषय जो रखा जाने वाला हो या इस अधिनियम के प्रावधानों से सम्बन्धित या उसके प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अन्य कोई विषय।

परन्तु, यह कि इस धारा के अधीन बनाए गए किसी नियम को बनाए जाने के बाद तुरन्त राज्य विधान-सभा के समक्ष, जब वह कुल 14 दिनों के सत्र में हो, रखा जाएगा, जो एक ही सत्र में या दो लगातार सत्र में पड़ सकते हैं। जिस सत्र में उसे प्रस्तुत किया जाए, उस सत्र में या उसके तुरन्त बाद वाले सत्र में सदन नियम में जो उपान्तरण करने को सहमत हो अथवा यदि इस बात पर सहमत हो कि नियम बनाया ही नहीं जाना चाहिए तो उसके बाद, वह आदेश, यथास्थिति, या तो रूपान्तरित रूप में प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगा, किन्तु नियम के ऐसे रूपान्तरण या बातिल होने से उस नियम के अधीन पहले किए गए किसी काम की मान्यता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

16. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव :—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि तथा नियमों तथा न्यायालयों के किए गए किसी निर्णय या डिक्री या निर्गत किसी आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, स्कीम, नियम या संकल्प में प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे;

परन्तु, यह कि तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि, नियम, इस अधिनियम से पूर्व बने, निर्गत या जारी कोई आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, स्कीम या संकल्प, जहां तक वे इस अधिनियम से असंगत नहीं हैं, प्रभावी बने रहेंगे तथा इस अधिनियम के अधीन निर्गत या पारित समझे जायेंगे।

---

## अनुसूची १

### {कृपया देखें धारा २ (ञा)}

### अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची

(1) कपरिया
(2) कानू
(3) कवार
(4) कलन्दर
(5) कोछ
(6) कुर्मी (महतो) केवल छोटानागपुर डिवीजन के लिये ।
(7) केवट (कउट)
(8) कादर
(9) कारा
(10) कोरक
(11) केवर्त्त
(12) कुमारभाग पहाड़िया
(13) खटवा
(14) (XXX)
(15) खतोरा
(16) खंगर
(17) खटिक
(18) खेलटा
(19) खतवे
(20) (XXX)
(21) गाड़ी (छावी)
(22) गंगाई (नगश)
(23) गगोता
(24) (XXX)
(25) गधर्व
(26) गुलगुलिया
(27) गोड़
(28) चांय
(29) चपोता
(30) चन्द्रवंशी (कहार)
(31) टिकुलहार
(32) ढेकारू
(33) तांती (ततवा)
(34) तमरिया
(35) तुरहा
(36) तियर
(37) धारु
(38) धानुक
(39) धामिन
(40) धांमर
(41) धनवार
(42) नामिया
(43) नइया
(44) नाई
(45) नामशूद्र
(46) पाण्डा
(47) पाल (भेड़िहार गड़ेरी)
(48) प्रधान
(49) पिनगनिया
(50) पहिरा
(51) बारी
(52) बेलदार
(53) बिन्द
(54) (XXX)
(55) सेखड़ा
(56) बागदा
(57) भुइयार
(58) भार
(59) (XXX)
(60) भास्कर
(61) माल्हो
(62) मांगर
(63) मदार
(64) मल्लाह (सुरहिया)
(65) मझवार
(66) मारकन्डे
(67) मोरियारी
(68) मलार (मालहोर)
(69) मौलिक
(70) राजधाबी
(71) राजभर
(72) रगवा
(73) वनपर
(74) (XXX)
(75) सोटा (सोता)
(76) (XXX)
(77) धगरिया

(78) बघारी

(79) अबदल

(80) कसाव (कसाई) मुस्लिम

(81) चीक (मुस्लिम)

(82) डफाली (मुस्लिम)

(83) धुनिया (मुस्लिम)

(84) धोबी (मुस्लिम)

(85) नट (मुस्लिम)

(86) पमरिया (मुस्लिम)

(87) भठियारा (मुस्लिम)

(88) भाट (मुस्लिम)

(89) मेहतर, लाल बेगिया, हलालखोर, भंगी (मुस्लिम)

(90) मिरियासीन (मुस्लिम)

(91) मदारा (मुस्लिम)

(92) मोरशिकार (मुस्लिम)

(93) साई (मुस्लिम)

(94) मोमिन (मुस्लिम)

(95) जमात

(96) चुड़ीहार (मुस्लिम)

(97) प्रजापति (कुम्हार)

(98) राईन या कुंजरा (मुस्लिम)

(99) सोय

नोट - उन जाति तथा वर्गों को जिन्हें मुस्लिम नहीं लिखा गया है हिंदू तथा मुसलमान दोनों जाति का समझना चाहिए जैसे- तेली में दोनों हिंदू तथा मुसलमान तेली।

## अनुसूची २
## [कृपया देखें धारा २ (ञ)]
## पिछड़े वर्गों की सूची

(1) (XXX)

(2) कागजी

(3) कमार (लोहार और कर्मकार)

(4) कुशवाहा (कोइरी)

(5) कोस्ता

(6) गद्दी

(7) घटवार

(8) (XXX)

(9) चनउ

(10) जदुपतिया

(11) जोगी (जुगी)

(12) तमोली

(13) तेली

(14) देवहार

(15) नालबंद (मुस्लिम)

(16) (XXX)

(17) परथा

(18) बढ़ई

(19) बढ़ई

(21) बनिया (सूड़ी, [illegible], रौनियार, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], कसेरा, [illegible], [illegible], कमलापुरी वैश्य, सिन्दुरिया, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ([illegible]), बर्नवाल, अग्रहरी वैश्य, पेदसार, कथ बनिया)

(21) मुकरी (मुकेरी) मुस्लिम

(22) मल्लाह ([illegible], बिन्द, गोढ़ी, धानुक, केवट)

(23) राजवंशी (रिसिया या पोलिया)

(24) रंगरेज (मुस्लिम)

(25) रौतिया

(26) (xxx)

(27) लहेड़ी

(28) शिवहरी

(29) सोनार

(30) सूत्रधार

(31) सुकियार

(32) इदरीसी या दर्जी (मुस्लिम)

(33) ईसाई धर्मावलम्बी (हरिजन)

(34) ईसाई धर्मावलम्बी (अन्य पिछड़ी जाति)

(35) कुर्मी (महतो)

(36) भाट (हिंदू)

(37) दांगी

नोटः—इन जाति तथा वर्गों को जिन्हें मुस्लिम नहीं लिखा गया है हिन्दू तथा मुसलमान दोनों जाति का समझना चाहिए जैसे तेली में दोनों हिन्दू तथा मुसलमान तेली।

---

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
झारखण्ड गजट (असाधारण) 296—300+2 00—सचि मुद्रण।

सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

## झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ, 1933 शकाब्द

संख्या 435 राँची, शुक्रवार 10 जून, 2011

## विधि (विधान) विभाग

### अधिसूचना

9 मई, 2011

संख्या एल०जी०–06 / 2011–66 / लेज०,–झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 5 मई, 2011 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

**[झारखण्ड अधिनियम संख्या– 08, 2011]**

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 में संशोधन हेतु अधिनियम, 2011

झारखण्ड पदों एव सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–2001 में संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के 62वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल (सभा) द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :–

1) संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :–

(i) यह अधिनियम झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के लिए) [संशोधन] अधिनियम, 2011 कहलाएगा।

(ii) यह सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में लागू होगा।

(iii) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2) झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–2001 की धारा 4(6) (क, ख, ग एव घ) को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर 4(6) के रूप में निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाती है :–

"राज्य की सेवाओं/संवर्गों/पदों पर नियुक्ति अथवा प्रोन्नति के लिए आरक्षित पदों को भरने हेतु आरक्षित वर्ग के सुयोग्य उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में रिक्त पदों को तीन भर्त्ती वर्ष तक अग्रणीत किया जा सकेगा, जबकि दो भर्त्ती वर्षों तक सुयोग्य उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में रिक्त पदो पर भर्त्ती (नियुक्ति/प्रोन्नति) के लिए राज्य सरकार द्वारा तीसरे भर्त्ती वर्ष में ही एक विशेष भर्त्ती प्रक्रिया अपनाकर रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई की जायेगी। आरक्षित पदों पर विशेष भर्त्ती प्रक्रिया के तहत जिस आरक्षित वर्ग के लिए रिक्त पद कर्णांकित होंगे उन्हें उसी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों से भरा जायेगा।"

---

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**पंकज श्रीवास्तव,**
सरकार के सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

## अधिसूचना

9 मई, 2011

संख्या एल०जी०-06/2011-67/लेज०-झारखण्ड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 5 मई, 2011 को अनुमत झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण [अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए (संशोधन) अधिनियम], 2011 (झारखण्ड अधिनियम संख्या-08, 2011) का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

# [JHARKHAND ACT, 08, 2011]

## Jharkhand Pado Evum Sewaon Ki Riktion Mein Arakshan (Anusuchit Jation, Anusuchit Janjation Evum Pichchre Vergon Ke Liye) Adhinium-2001 Amendment Act, 2011

AN

ACT

for amendment in reservation in vacancies of posts and services (Scheduled Caste/Scheduled Tribe and Backward Classes) Act-2001 in Jharkhand.

Be it enacted in the Jharkhand State legislature (Assembly) in the 62nd year of Republic of Indian in following manners:-

(1) Short title, extent and commencement :-

(i) This Act may be called Jharkhand Pado Evum Sewaon Ki Riktion Mein Arakshan (Anusuchit Jation, Anusuchit Janjation Evum Pichchre Vergon Ke Liye) (Amendment) Act-2011.

(ii) It extends to the whole state of the Jharkhand.

(iii) It will come into force with immediate effect.

(2) Subsection 4(6) (Ka, Kha, Ga and Gha) of the Jharkhand Pado Evum Sewaon Ki Riktion Mein Arakshan (Anusuchit Jation, Anusuchit Janjation Evum Pichchre Vergon Ke Liye) Adhinium-2001 be deleted and the following be substituted as 4(6) in lieu of that :-

"During appointment or promotion, in case of unavailability of suitable candidates of reserved category, the reserved posts of services/cadres/posts of Services under the State, the vacancies of posts be carry forwarded for three years, as such, the vacant posts, in case of unavailability of suitable candidates (Appointment/promotion) during two appointment years, the State Government is empowered to be fill up the post by adopting special recruitment procedure during the third year by adopting special recruitment procedure for reserved posts. The posts earmarked for a reserved category will be filled up by the same category."

---

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पंकज श्रीवास्तव,

सरकार के सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 435--150+400 ।